अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2005

का.आ. 819(अ).—केन्द्रीय सरकार, रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय प्राधिकरण के कृत्यों का निरीक्षण करने और उक्त अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए विषय निर्वाचन समिति के नाम से एक समिति का गठन करती है।

2. विषय निर्वाचन समिति का गठन—

(क) मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार—अध्यक्ष

(ख) सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार—सदस्य

(ग) सचिव, रासायनिक और पैट्रोरसायन विभाग, रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार—सदस्य

(घ) विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय

(ङ) सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार—सदस्य

(च) सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य

(छ) सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार—सदस्य

(ज) अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक आयुध अभिसमय, सदस्य—सचिव

को मिलाकर किया जाएगा।

4. यह अधिसूचना तारीख 1 जुलाई, 2005 को प्रवृत्त होगी।

[सं. 40020/14/2002-सी.एच. I]

आर. आई. सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2005

S.O. 819(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000), the Central Government hereby constitute a Committee to be called the Steering Committee for the purpose of overseeing the functions of the National Authority and exercising and performing the powers and functions of the Central Government under the said Act.

2. The Steering Committee shall consist of—

(a) the Cabinet Secretary in the Government of India—Chairman;

(b) the Secretary, Ministry of Defence in the Government of India—Member;

(c) the Secretary, Department of Chemicals and Petrochemicals in the Ministry of Chemicals and Fertilizers in the Government of India—Member;

(d) Foreign Secretary, Ministry of External Affairs;

(e) the Secretary, Defence Research and Development in the Ministry of Defence in the Government of India—Member;

(f) Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance—Member

(g) the Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry in the Government of India—Member;

(h) the Chairperson of the National Authority, Chemical Weapons Convention—Member-Secretary.

4. This Notification shall come into force on the 1st day of July, 2005.

[No. 40020/14/2002-CH. I]

R. I. SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode